बिहार विधान-सभा वाद्वृत्त

(भाग 1—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि 4 जुलाई, 1983।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:	
अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या 41, 43, 44 ...	1—13
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 583, 586, 1236 ...	14—25
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) ...	27—70
दैनिक निबंध ...	71

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

दोषी करार कर कारंवाई।

44. श्री मुन्शी लाल राय—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि रांची जिला के मुरहू थाना के सामने दिनांक 21 अप्रील, 1983 को पुलिस ने शांतिपूर्वक जुलूस पर गोली चलायी, जिसमें दो छात्र तथा एक सिपाही की मृत्यु हो गयी;

(2) क्या यह बात सही है कि मुरहू थाना के पुलिस पदाधिकारियों ने एक बालिका के साथ दुर्व्यवहार दो दिन पहले ही किया था;

(3) क्या यह बात सही है कि दिनांक 4 मई, 1983 को इस पुलिस के गोली चलाने के विरुद्ध सम्पूर्ण रांची बन्द रहा;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो सरकार शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाने के लिए किसे दोषी मानती है तथा उस पर कौन-सी कारंवाई करने का विचार रखती है?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—(1) रांची जिला के मुरहू थाना के सामने दिनांक 21 अप्रील, 1983 को नहीं बल्कि 29 अप्रील, 1983 को पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के फलस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। इस घटना के पूर्व हिंसात्मक भीड़ में से गोली चलाने के फलस्वरूप घटनास्थल पर ही डियूटी पर तैनात सिपाही राम चन्द्र झा (1305) की मृत्यु हो गयी।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

आरक्षी संख्या 1170 श्री विमलदेव राय ने छात्रा बासन्ती मुण्डु को थप्पड़ से मारा। इस अभद्र व्यवहार के लिए उन्हें निलम्बित किया गया है तथा उन पर विभागीय कारंवाई भी चल रही है।

(3) उत्तर अंशत: स्वीकारात्मक है।

विगत 4 मई, 1983 को रांची बन्द आंशिक रहा।

(4) दिनांक 29 अप्रील, 1983 को करीब 11 बजे स्थानीय मिशन स्कूल के करीब 400 छात्र/छात्रा तथा अध्यापिकाओं का जो जुलूस मुरहू थाना पर गया था वह शांतिपूर्ण अवश्य था। इस जुलूस की मांग थी कि अभद्र व्यवहार करने वाले कथित सिपाही पर कारंवाई की जाय। इस जन समुदाय को थाने पर उपस्थित दण्डाधिकारी

तथा आरक्षी उपाधीक्षक ने जब सूचित किया कि कथित सिपाही का स्थानान्तरण कर दिया गया है तो भीड़ शान्तिपूर्वक लौट गयी।

उसी दिन करीब 4 बजे अपराह्न में झारखण्ड पार्टी के नेता श्री जौन पाहन के नेतृत्व में हिंसात्मक भीड़ एकत्रित की गयी थी जो अस्त्र-शस्त्र से लैस थी। श्री पाहन ने थाना प्रभारी, मुरहू को 21 अप्रैल, 1983 को ही सूचित किया था कि वे थाना का घेराव करेंगे इसलिए विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए सशस्त्र बल, लाठी पार्टी तथा महिला सिपाही की प्रतिनियुक्ति वहाँ पर की गयी थी। प्रदर्शनकारियों ने पहले थाना में घुसकर तोड़फोड़ किया और घोर पथराव करने लगे। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी द्वारा समझाने का उन पर कोई असर नहीं हुआ और वे अपनी उग्र गतिविधि करते रहे। स्थिति पर काबू पाने के लिए पहले अश्रु गैस तथा लाठी चार्ज कर भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयत्न किया गया। महिला तथा लड़के एवं लड़कियाँ भाग चले। परन्तु पुरुष प्रदर्शनकारी डटे रहे। इसी बीच प्रदर्शनकारियों में से किसी ने वहाँ ड्यूटी पर तैनात सिपाही रामचन्द्र झा को गोली मार दिया। श्री झा की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। प्रदर्शनकारी इसके बाद भी पुलिस पार्टी पर जान मारने के नियत से तीर एवं पत्थर चलाने लगे जिससे ड्यूटी पर तैनात आरक्षी उपाधीक्षक तथा अन्य पदाधिकारियों को भी चोट लगी। भीड़ के पीछे से आवाज आ रही थी कि राइफल बन्दूक से मत डरो। ऐसी परिस्थिति में खतरे को देखते हुये उपस्थित दण्डाधिकारी ने कुल 12 चक्र गोली चलाने का आदेश दिया। इस गोली काण्ड से 2 प्रदर्शनकारी मारे गये थे, 7 व्यक्ति घायल हुये। सम्प्रति गोली कांड के इस मामले में प्रमण्डलीय आयुक्त तथा क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक द्वारा जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने पर सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

श्री मुंशीलाल राय—अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जो गोली चली है वह थाने से कितनी दूरी पर चली है?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—इस प्रतिवेदन के अनुसार तो गोली थाने के अहाते में चली है।

श्री मुंशीलाल राय—अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का कहना है कि गोली थाने के अहाते में चली है। आप कहते हैं कि विद्यार्थी के भीड़ पर गोली नहीं चली और मारा गया है विद्यार्थी। मेरा कहना है कि जो लोग आंदोलित थे वे इसलिये आंदोलित थे

कि आदिवासी छात्रा के साथ पुलिस ने जुल्म किया था, अभद्र व्यवहार किया था, बलात्कार करने की कोशिश की थी। इसी वजह से वहां के आदिवासी और विद्यार्थी आंदोलित थे।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—बलात्कार करने की कोशिश की गयी ऐसा कोई प्रयास किया है रिपोर्ट में नहीं है। थप्पड़ मारा था जिस पर उस सिपाही को तुरत निलम्बित कर दिया गया। दो ग्रुप में प्रदर्शनकारी आये थे। एक ग्रुप में छात्र, छात्रायें तथा अध्यापिकायें थीं और दूसरे ग्रुप में प्रदर्शनकारियों में झारखण्ड पार्टी के लोग थे। पहले ग्रुप के लोगों को समझा दिया गया कि ऐक्शन ले लिया गया है, सम्बन्धित सिपाही को तुरत सस्पेंड कर दिया गया है इस पर वे लौटकर चले गये। झारखण्ड पार्टी का जो दूसरा ग्रुप था उसने नोटिश दी थी।

श्री कृष्ण पटेल—अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जवाब दिया है कि प्रदर्शनकारी थाने में घुस गये और थाने को नुकसान पहुंचाया तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि थाने को कितने की क्षति हुई?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—वहां का फर्नीचर तोड़ा गया और पथराव किया गया जिससे हमारे अधिकारी भी घायल हो गये यही मैंने बताया है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि छात्र-छात्राओं ने जो प्रदर्शन किया था और अपराह्न में झारखण्ड पार्टी के नेतृत्व में जो आम लोगों ने प्रदर्शन किया जिसमें पुरुष और नारी भी थीं और उनलोगों की एकमात्र मांग यही था कि जिस कांस्टेबल ने उक्त आदिवासी छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया है उसको निलम्बित किया जाय और उसको मुरहू थाना से हटा दिया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि वह सिपाही अभी वहीं है हटाया नहीं गया है आप हमारे साथ चल कर देख लीजिये वह वहीं मौजूद है और वह निलम्बित भी नहीं हुआ है। निलम्बन करने की बात अधिकारियों ने नहीं मानी।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—माननीय विरोधी दल के नेता ने ठीक ही कहा है कि प्रदर्शनकारियों की मांग यही थी कि उक्त सिपाही को निलम्बित किया जाय और उसको वहां से हटा दिया जाय। वह हटाया गया कि नहीं मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हो सकता है कि वह अभी वहीं हो। अगर ऐसा होगा तो उसको वहां से हटा दिया जायेगा।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, असल में वहां के लोगों को यही शिकायत थी और एकमात्र मांग यही थी कि उक्त कांस्टेबल को मुरहू थाना में नहीं रहने दिया जाय।

आप कहते हैं कि वह हटा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वह कंस्टेबल वहीं मौजूद है हमारे साथ चलकर देख लीजिये उसके क्वार्टर में वह वहीं है। अध्यक्ष महोदय, अधिकारी इनका बात मान लेते तो वहां गोली नहीं चलती। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या यह बात सही है कि जिस कंस्टेबल को मारे जाने की बात है क्या उसको प्रदर्शनकारी की गोली लगी है या पुलिस फायरिंग के दौरान पुलिस की गोली लगी है?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—माननीय विरोधी दल के नेता का दो सवाल है। पहला तो यह है कि जो कंस्टेबल मरा वह पुलिस की गोली से मरा या प्रदर्शनकारी की गोली से मारा गया? हमारे प्रतिवेदन के अनुसार प्रदर्शनकारी के बीच से गोली चलायी गयी जिसके फलस्वरूप वह मारा गया। दूसरा सवाल उनका यह है कि कंस्टेबल जिसने उक्त छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया वह वहीं मौजूद है। जहां तक चलकर देखने की बात कही गई है इसके सम्बन्ध में प्रतिवेदन में कोई चर्चा नहीं है। इस बिन्दु को भी जांच में हम दे देंगे।

श्री कर्पूरी ठाकुर—मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिस आदिवासी को गोली से कंस्टेबल के मारे जाने की बात मारके जवाब में कही गई है क्या वह गोली बन्दूक की थी या राइफल की थी या पिस्टल की थी? आपने बरामद किया गया है इन्वेस्टीगेशन के लिए जो सरकार की कस्टडी में हो एग्जीबिट के लिए?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—लोकेट नहीं हो सका कि बन्दूक चली या राइफल चली। कहां से गोली चली यह लोकेट नहीं हो सका।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, संथालपरगना और छोटानागपुर का पूरा बेल्ट जो है उसके साथ पुलिस का बहुत ही बुरा बरताव किया जा रहा है। उसकी हालत बहुत ही खराब है। वहां जो गोली चली वहां गोली चलाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। पुलिस ने आदिवासियों को मारा है। जिन लोगों को जेल में कैदी बनाकर रखा गया है उसके साथ जेल में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि बुरा बरताव किया जा रहा है। उनके घर में जाकर आदिवासियों का पीटा गया है। एक रिटायर मिलीटरी जवान को पीटा गया है। आप इन बातों की भी जांच करावें। घर में घुसकर क्यों पीटा गया? मिलिटरी के रिटायर जवान को क्यों पीटा गया? आप सर्वदलीय कमिटी बनाकर इसकी जांच क्यों नहीं कराना चाहते हैं? आप भड़कते क्यों हैं?

श्री सूरज मंडल—अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि प्रदर्शनकारी आये थे और प्रदर्शन करने के पहले उनसे एक डेलीगेशन भी मिला था और बात किया था और

जब कारंवाई नहीं हुई तो वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। माननीय मंत्री का कहना है कि प्रदर्शनकारी को गोली से उक्त सिपाही को गोली लगी और वह मारा गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम-रिपोर्ट के अनुसार उस सिपाही को कहां गोली लगी है। सीने में गोली लगी है अथवा पीठ में गोली लगी है? गोली राइफल की है या बन्दूक की है या पिस्तौल की है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है?

अध्यक्ष—पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जांच हुई होगी कि कहां गोली लगी जिससे मृत्यु हो गई?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं जांच प्रतिवेदन को स्वयं देख रहा था तो मेरे दिमाग में यह बात भी आई थी। हमने आई० जी० के इन्क्वायरी में दे दिया है कि इसकी भी जांच करें कि गोली कहां लगी है?

श्री कपूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, मैं बताता हूं कि उक्त सिपाही को गोली पीठ में लगी है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—विरोधी दल के नेता जिस दृष्टिकोण से कह रहे हैं वास्तविकता में उसे मानता हूं। मैंने इस बिन्दु को भी जांच में दे दिया है। लेकिन हमने इन बिन्दुओं को देख लिया है यहां से पा जाने दिया जाय इसमें जरा-सा भी ढिलाई नहीं बरती जायगी जो दोषी होंगे उन्हें सजा दी ही जायेगी।

श्री सूरज मंडल—वह गोली रिवाल्वर की थी या बन्दूक की?

अध्यक्ष—यह जांच की बात है।

(इस अवसर पर कई माननीय सदस्य विरोधी दल के एक साथ होकर पूरक पूछ रहे थे जिससे किसी का भी कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था।)

श्री सूरज मंडल—अध्यक्ष महोदय, पन्द्रह गांव के लोगों पर सामूहिक जुर्माना किया गया है। लोगों का बैल, भैंस, बकरी, सूअर और मुर्गी खोली जा रही है। इस पर सरकार कारंवाई करेगी या नहीं? मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कपूरीजी भी वहां गये थे।

(शोरगुल)

अध्यक्ष—शांति, शांति। डी० आई० जी० को जांच करने के लिए दिया गया है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी—जो लोग मरे हैं उनको मुआवजा दिया जायेगा?

अध्यक्ष—बड़े आश्चर्य की बात है। जो नियम है उसीके अनुसार न हम काम करेंगे?

(एक ही साथ ही बहुत से विरोधी दल के सदस्य खड़े होकर पूरक पूछने लगे जिस शोरगुल में कुछ भी स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था।)

अध्यक्ष—जांच हो रही है।